मानव अधिकारां री सार्वभौम घोषणा

प्रस्तावना

जदै के सगला मिनखां रे वास्ते व्हांरी प्रतिष्ठा ने बराबरी रो अविच्छिन्न अधिकार मानणों दुनिया में शांति, न्याय ने स्वतन्त्रता नींव होवै,

जदै के मानव अधिकारां री अणदेखी ने उपेकसा सूं ऐडी बरबरतावां हुई है जिणसूं मानव विवेक ने चोट पौची है ने एक ऐडी दुनिया जठे मिनख जात आपरी आस्था, ने बोलण री स्वतन्त्रता, भय ने जरूरतां सूं मुक्ति पावेला रे आविर्भाव री सामान्य जन री जबर्दस्त उत्कंठा री ऊदघोषणा जीयूआई है,

जदै के ओ जरूरी है के मिनख ने अत्याचार अर दमन रे खिलाफ हथियार उठावण सारू मजबूर नी कियो जावे अर कानून रे अधिकारां सूं मानव अधिकारां री साय की जावे,

जदै के राष्ट्रा रे बिच्चै मैत्री रा संबंधां ने बढ़ावों दैणों जरूरी है,

जदै के संयुक्त राष्ट्र रा नागरिक इणरे घोषणापत्र में मूलभूत मानव अधिकारां, मिनख री प्रतिष्ठा ने उणरो मोल, अर लोग ने लुगायां दोनू रा बरोबरी रा अधिकार रे वास्ते आप री आस्था फेरु दोहराई है अर वृहत्तर आज़ादी में जीवण रे आछे स्तर अर सामाजिक विकास ने बढ़ावो देवण रो तै कियो है,

जदै के सदस्य राज्य, संयुक्त राष्ट्र रे सहयोग सूं, सार्वजनिक रूप सूं मानव आधिकारां अर मूलभूत आज़ादी ने मानण अर उणने ब्योवहार में लावण री खुद आण लीनी है,

जदै के इण आण ने पूरी करण वास्ते यां अधिकारां अर आज़ादियां री सर्वमान समझ जरूरी है,

इण वास्ते अबै आ **सामान्य सभा** मानव अधिकारां रे इण **सार्वजनिक घोषणापत्र** री मुनादी करै जिणमें तै करियोडा मानव अधिकारां रे स्तर ने पावण री कोशिश सगला राष्ट्रा ने अर सगला लोगां ने अर आखिर में समाज रे हरेक संगठन ने अर हरेक व्यक्ति ने करणी है। इण घोषणापत्र ने हमेशा दिमाग में राखता थका सगला राष्ट्र शिक्षा अर शिक्षण रे जरिए यां अधिकारां ने आज़ादियां रे मान ने बढ़ावो देवण री कोशिश करीजेला, अर राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय कदम लगातार उठाया जावेला जिणा सूं उणा ने मानता दिराई जा सके ने वां ने दोनू - सदस्य राज्यां रे लोगां रे बिच्चे ने व्हां रे अधिकार रा इलाकां र लोगां रे बिच्चे लागू किया जा सके।

अनुच्छेद 1.

- सागला मिनख आज़ाद अर प्रतिष्ठा ने आधिकारां री बरोबरी लियोडा पैदा होवे। व्हां में इन बात री समझ अर विवेक होवे के व्हाने एक दूजे रे सागे भाईचारे सूं रैणों है।

अनुच्छेद 2.

- इण घोषणापत्र में वर्णित अधिकारां अर आज़ादियां रा अधिकार जाति, रंग, लिंग, धर्म, राजनैतिक या दूजा विचारां, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या दूजी हैसियत रे किणी बी भेद रे बिणा हरेक ने है। सागे ईज किणी मिनख रे सागै उण रे देश या इलाके रे राजनैतिक, न्यायाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय हैसियत रे अधार माथे भेद नी कियो जावेला भले ई वो इलाको स्वतंत्र व्हे, ट्रस्ट व्हे या दूजी किणी सार्वभौम सीमावां राखै।

अनुच्छेद 3.

- हरेक ने आपरे जीवण रो, स्वतन्त्रता रो अर सुरक्षा रो अधिकार है।

अनुच्छेद 4.

- किणी ने दास या गुलाम बणार नी राखीजेला; दास प्रथा अर सगला तरै रा गुलामां री खरीद फरोख्त माथे रोक व्हैला।

अनुच्छेद 5.

- किनेई बी यंत्रणा नी दी जावेला या उण रे सागे अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नी कियो जावेला नी एडो दंड दियो जावेला।

अनुच्छेद 6.

- हरेक ने कानून रे सामी सगली जगा एक व्यक्ति रे रूप में आपरी पैचाण रो अधिकार होवे।
- अनुच्छेद 7. कानून रे सामी सगला जन बरोबर है ने व्हाने बिणा किणी भेदभाव रे कानून सूं सुरक्षा पावण रो अधिकार है। इण घोषणा रे विपरीत कोई भेदभाव होवे या ऐडो करण सारू कोई उकसावे तो उण रे खिलाफ सुरक्षा रो अधिकार बी हरेक ने है।

अनुच्छेद 8.

- संविधान या कानून सूं मिलियोडा मूलभूत अधिकारां रो हनन होवे तो उण रो किणी राष्ट्रीय कचेड़ी सूं प्रभावी प्रतिकार रो हरेक ने अधिकार है।

अनुच्छेद 9.

- किनेई बी मन मरजी सूं नी तो गिरफ्तार कियो जावेला, नी नज़रबंद राखियों जावेला अर नी किणी ने देशनिकालो दियो जावेला।

अनुच्छेद 10.

- आपरा अधिकारां अर दायित्वां रे निर्धारण अर आपरे खिलाफ किणी अपराधिक आरोप ने तै करण वास्ते हरेक ने एक स्वतंत्र ने तटस्थ न्यायधिकरण सामी निष्पक्ष सुनवाई रो अधिकार है।

अनुच्छेद 11.

- (1) हरेक, जिण माथे दंडात्मक आरोप होवे, ने अधिकार है के वो सार्वजनिक मुकदमें में, जिणमें उणने आपरे बचाव री पूरी गारंटी होवे, अपराधी साबित होवण तांई निर्दोष मान्यो जावे।
- (2) किणी ने उण दंडात्मक अपराध वास्ते राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून रे तैत दोषी नी मान्यो जावेला गर वो कर्म जिण टेम हुयों उण टैम कानून में वो अपराध नी हो।

अनुच्छेद 12.

- किणी मिनख री निजता, परवार, घर या चिट्ठी-पत्री में कोई मनमानो दखल नी कियो जावेला ने नी किणी री प्रतिष्ठा अर इज्ज़त माथे कोई हमलो कियो जावेला। हरेक ने इन तरै रा दखल आर हमलां रे खिलाफ हरेक ने कानून री सुरक्षा रो अधिकार व्हैला।

अनुच्छेद 13.

- (1) हरेक ने किणी देश री सीमावां रे मांय एक जगा सूं दूजी जगा जावण री आज़ादी ने कठेई बसण रो अधिकार है।
- (2) हरेक ने आप रो खुद रो देश समेत किणी बी देश ने छोड़ण रो आपरे देश पाछो आवण रो अधिकार है।

अनुच्छेद 14.

- (1) उत्पीड़न सूं बचण वास्ते हरेक ने दूजे देश में शरण मांगण अर उण ने पावण रो अधिकार है।
- (2) सांच में गैर-राजनैतिक अपराधां रा मुकदमां या संयुक्त राष्ट्र रा उद्देश्यां अर सिद्धान्तां रे खिलाफ हुया कामां रे मामलां में ओ अधिकार नी मांग्यों जा सकेला।

अनुच्छेद 15.

- (1) हरेक ने राष्ट्रीयता रो अधिकार व्हेला।
- (2) किनेई बी मनमरजी सूं राष्ट्रीयता सूं वंचित नी कियो जा सके अर नी राष्ट्रीयता बदलण रो अधिकार किणी सूं छीन्यो जा सके।

अनुच्छेद 16.

- (1) मोट्यार लोगां अर लुगायां ने बिणा किणी जात, राष्ट्रीयता या धरम री रुकावटां रे आपस में परणीजण ने परवार बाणावण रो अधिकार है। व्हाने परणीजण, परणीजण रे दौरान अर परणियो रिश्तो ख़तम करण रो बी बरोबरी रो अधिकार है।

- (2) भावी जीवन साथियां री पूरी ने स्वतंत्र रजामंदी सूं ईज ब्याव रो रिश्तो बणेला।
- (3) परिवार समाज री प्राकृतिक ने बुनियादी समूह वाली इकाई है जिणने समाज अर राज्य कानी सूं सुरक्षा पावण रो हक़ है।

अनुच्छेद 17.

- (1) हरेक ने खुद या दूजां रे सगे मिलर संपत्ति राखण रो अधिकार है।
- (2) किणी मे मन मरजी सूं संपत्ति सूं बेदखल नी कियो जायला।

अनुच्छेद 18.

- हरेक ने आपरे विचार, ज़मीर, ने धरम री स्वतन्त्रता रो अधिकार है; इण अधिकार में आपरो धरम या आस्था बदलण रो अधिकार भेलो है। सार्वजनिक या निजी रूप सूं एकलो या दूजां साथै समुदाय में शिक्षण, ब्योहार, पूजा पद्धति अर मान्यता में आपरो धरम या आस्था प्रकट करण या मानण री हरेक ने स्वतन्त्रता व्हेला।

अनुच्छेद 19.

- हरेक ने विचारां अर अभिव्यक्ति री आज़ादी है; इण अधिकार में बिणा किणी बाधा रे विचार राखण अर सरहदां रे बावजूद किणी बी माध्यम रे जरिये सूचना ने विचार खोजण, प्राप्त करण अर प्रकट करण रो हक़ भेलों है।

अनुच्छेद 20.

- (1) हरेक ने शांतिपूर्ण सभा करण या संगठित होवण री स्वतन्त्रता रो अधिकार है।

- (2) किनेई बी किणी संगठन में भेलो होवण वास्ते मजबूर नी कियो जा सके।

अनुच्छेद 21.

- (1) हरेक ने आपरे देश री सरकार में, सीधे या स्वेच्छा सूं चुणिजियोडा नुमाइंदां रे जरिये, शामिल होवण रो अधिकार है।
- (2) हरेक ने आपरे देश में सार्वजनिक सेवा पावण रो बरोबरी रो हक़ है।
- (3) लोगां री इच्छा ईज सरकार री प्रभुता रो आधार व्हेला। आ इच्छा सांचा चुनावां में टैमसर प्रकट व्हेला। ऐ चुनाव सर्वव्यापी ने समानता रे मताधिकार वाला व्हेला ने मतदान गुप्त या कोई इणीज़ समान स्वतंत्र प्रक्रिया वाला व्हेला।

अनुच्छेद 22.

- समाज रे एक सदस्य रे रूप में हरेक ने सामाजिक सुरक्षा रो अधिकार है। उणने राष्ट्रीय प्रयास ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अर प्रत्येक राज्य रे संगठन अर संसाधन रे अनुरूप आर्थिक, सामाजिक ने सांस्कृतिक अधिकार पावण रा अधिकार है जिका उणरी गरिमा ने उणरे व्यक्तित्व रे मुक्त विकास वास्ते अनिवार्य है।

अनुच्छेद 23.

- (1) हरेक ने काम कारण करण रो, आपरी मरजी सूं रूज़गार चुनण, काम करण री री उचित ने अनुकूल परिस्थितियां पावण अर बेरोजगारी सूं संरक्षण पावण रो अधिकार है।

- (2) हरेक ने बिणा भेदभाव रे समान काम रो समान वेतन पावण रो अधिकार है।
- (3) काम करण आले हरेक व्यक्ति ने खुद रे अर उणरे परवार ने मानव गौरव रे अनुकूल जीवतो रैवण वास्ते उणरे काम रो सही ने अनुकूल मैनताणों पावण रो अधिकार है, ने जरूरत पड़े तो उणरी पूरती सामाजिक सुरखा रा दूजा तरीकां सूं होवे।
- (4) हरेक ने आपरा हितां री सहाय वास्ते हरेक ने मजूर संगठन बणावाण या किणी मजूर संगठन में भेलो होवण रो अधिकार है।

अनुच्छेद 24.

- हरेक ने विश्राम ने छुट्टी मनावण रो अधिकार है। इण रे तैत काम रा मुनासिब घंटां री सीमा अर टैम सूं टैम मजूरी समेत छुट्टियां पावण रो अधिकार भेलो है।

अनुच्छेद 25.

- (1) हरेक ने ऐडो जीवन स्तर, जिणमें खाणों, कपड़ा, मकान, इलाज री सुविधावां ने जरूरी सामाजिक सेवाआं भेली है, पावण रो अधिकार है जिको उण रे ने उण रे परवार री तंदरुस्ती अर कल्याण वास्ते पूरो होवे। सगलां ने बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य या , बुढापे या दूजी उणरे काबू सूं बारे वाली किणी परिस्थिति में आजीविका रो साधन नी होवण माथे सुरक्षा रो अधिकार है।

- (2) जच्चा बच्चा ने खास सहायता ने देखभाल री जरूरत है। सगला टाबर, परणीजियोडा दंपत्ति सूं पैदा होयोड़ा होवे या दूजां सूं , बरोबरी री सामाजिक सुरक्षा रा हकदार है।

अनुच्छेद 26.

- (1) हरेक ने शिक्षा रो अधिकार है। कम सूं कम प्रारम्भिक ने बुनियादी स्तर माथे शिक्षा मुफ्त होवेला। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होवेला। तकनीकी ने व्यावसायिक शिक्षा सामान्य रूप सूं उपलब्ध कराई जायला ने उच्च शिक्षा योग्यता रे अधार माथे सबने समान रूप सूं पावण रो अधिकार है।
- (2) शिक्षा तो धेय व्हेला मिनख रे व्यक्तित्व रो संपूरण विकास है। शिक्षा रो काम मानव अधिकारां ने बुनियादी स्वतंत्रतावां रे प्रति सम्मान ने मजबूत करणों है। शिक्षा रे जरिये राष्ट्रा, जातियां ने धार्मिक समूहां बिच्चे आपसी सदभाव, सहिष्णुता आर मैत्री रो विकास करणों है ने शांति बणाई राखण सारूं संयुक्त राष्ट्रा रा प्रयासां ने आगे बढाणों है।
- (3) मां - बापां ने सबसू पैली इण बात रो अधिकार है के वे ओ तै कर सकें के उणां रा टाबरां ने किण भांत री शिक्षा दे जावे।

अनुच्छेद 27.

- (1) कला रो आनंद लेवण अर वैज्ञानिक प्रगति ने उणरा फायदां में हिस्सेदारी वास्ते हरेक ने समुदाय रे सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप सूं हिस्सो लेवण रो अधिकार है।
- (2) आपरी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक रचना जिण रो वो रचयिता है रे नैतिक ने भौतिक संरक्षण रो हरेक ने अधिकार है।

अनुच्छेद 28.

- हरेक ने ऐडी सामाजिक ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था रो अधिकार है जिणमें इण घोषणापत्र में तै करीजिया अधिकार ने स्वतंत्रतावां मिल सके।

अनुच्छेद 29.

- (1) हरेक रो उण समुदाय रे प्रति फरज है जिणमें रैता थंका ईज़ उण रे व्यक्तित्व रो विकास संभव है।
- (2) आपरा अधिकारां ने स्वतंत्रतावां रो उपयोग करते किणी व्यक्ति माथे कोरी वे ईज़ पाबंदियां व्हेला जिकी कानून कानी सूं तै करीजियोडी व्हेला। ऐ पाबंदियां दूजां रा अधिकार ने स्वतन्त्रता रे सम्मान राखण वास्ते ईज़ व्हेला। इण री जरूरत एक लोकतान्त्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था ने सामान्य कल्याण रे वास्ते व्हेला।
- (3) यां अधिकारां ने स्वतंत्रतावां रो उपयोग किणी बी तरै सूं संयुक्त राष्ट्रा रे सिद्धांतां आर उद्धेश्यां रे खिलाफ नी होवेला।

अनुच्छेद 30.

- इण घोषणा में जिको बी कैयों गियों है उणरो अरथ ओ नी लगायों जाणों चाइजे के के जिनसूं लागे के किणी राज्य, समूह, या व्यक्ति ने ऐडा काम करण रा अधिकार मिल गिया है जिण रा उद्देश्य इणमें बताया गिया अधिकारां अर स्वतन्त्रतावां मूं किणी रो बी खातमो कियो जा सके।